FORM No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

मुकेश कुमार बनाम राधाकिशन वगैरह

मुकदमा 88-89 RT Act नं. 96 सन् 2019

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
'19	वाद वादी मुकेश कुमार की और से अभिभाषक श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25.09.2019 को पेश हो। [signature]	
25/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। अनु० पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय से बाहर / जयपुर पधारे हुये है। पत्रावली [illegible] दिनांक 3-10-19 को पेश हो। [signature]	
3/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी नं. 1 ता 4 की ओर से श्री रामबाबु डसेलिया एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया। वादी की ओर से राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी की पहचान श्री शिवप्रसाद शर्मा एड. और प्रतिवादीगण की पहचान श्री रामबाबु डसेलिया एड. द्वारा की गई। राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	(1) मुकेश राधाकिशन 2 अशोक 3 इन्द्राज 4 अ.प्र. मातीराई [illegible] [signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
96 / 19	22.08.2019	3-10-2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

मुकेश कुमार आत्मज राधा किशन जाति धाकड निवासी जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 – वादी

बनाम

1. राधा किशन आत्मज छोटूलाल
2. अशोक कुमार आत्मज राधा किशन
3. इन्द्रराज आत्मज राधा किशन
4. राती बाई पत्नी राधा किशन जाति धाकड निवासीगण जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद में ख0नं0 11 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 43 रकबा 2.02 हे0, ख0नं0 80 रकबा 0.66 हे0, ख0नं0 163 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 243 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 348 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 463 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.58 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है जो पुश्तैनी भूमि है। जिनमें वादी व प्रतिवाददीगण नं0 1 ता 4 का बराबर–बराबर हिस्सा है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जो उक्त भूमि सभी पक्षकारान की आजीविका का एकमात्र साधन है। प्रतिवादी नं0 1 अन्य प्रतिवादीगण के बहकावे मे आकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान करने पर आमादा है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रविवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का नाम दर्ज करवाने की दिनांक 16.08.2019 को कहा तो वे नाराज हो गये और नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि वह रिकॉर्ड के अनुसार भूमियों का बैचान कर देगा व वादी के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करके रहेगा। यदि भूमि का बैचान कर दिया गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। सिसे वाद कारण उत्पन्न हुआ।

Scanned by CamScanner

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी पारित की जावें कि– ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद में खा0नं0 11 रकबा 1.04 हे0, खा0नं0 43 रकबा 2.02 हे0, खा0नं0 80 रकबा 0.66 हे0, खा0नं0 163 रकबा 1.09 हे0, खा0नं0 243 रकबा 0.23 हे0, खा0नं0 348 रकबा 0.19 हे0, खा0नं0 463 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.58 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को सहखातेदार बराबर बराबर हिस्से से खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 5 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जाखडोंन सं0 2071–74 खाता नं0 231
2. फोटोप्रति नक्शा ट्रेस ग्राम जाखडोंन सन् 1980–81

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया, राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें कथन किये कि "ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद के खा0नं0 11 रकबा 1.04 हे0, खा0नं0 43 रकबा 2.02 हे0, खा0नं0 80 रकबा 0.66 हे0, खा0नं0 163 रकबा 1.09 हे0, खा0नं0 243 रकबा 0.23 हे0, खा0नं0 348 रकबा 0.19 हे0, खा0नं0 463 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.58 हे0 भूमि का वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी नं0 2 अशोक कुमार प्रतिवादी नं0 3 इन्दरराज को समभाग में प्रतिवादी नं0 1 के साथ खातेदार घोषित किया जावें।" इस प्रकार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें निवेदन किया कि उक्त वाद राजीनामा अनुसार डिकी फरमाया जावें।"

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करनें पर राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष ने सहमति प्रकट करते हुए सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। वादगत भूमि वाके ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद स्थित खा0नं0 11 रकबा 1.04 हे0, खा0नं0 43 रकबा 2.02 हे0, खा0नं0 80 रकबा 0.66 हे0, खा0नं0 163 रकबा 1.09 हे0, खा0नं0 243 रकबा 0.23 हे0, खा0नं0 348 रकबा 0.19 हे0, खा0नं0 463 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.58 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदार में दर्ज चली आ रही है। वादी नें अपनें वादपत्र में कथन किये है कि विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि है। चूंकि प्रकरण पिता एवं संतानों के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। जिससे वादी पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। प्रकरण में मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को भी बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किये जानें की

Scanned by CamScanner

सहमति प्रकट की गई है। जिससे प्रतिवादी नं0 2 ता 4 भी मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी में सहखातेदार घोषित होनें के अधिकारी है।

परिणामतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 11 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 43 रकबा 2.02 हे0, ख0नं0 80 रकबा 0.66 हे0, ख0नं0 163 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 243 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 348 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 463 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.58 हे0 भूमि में वादी मुकेश कुमार पुत्र राधा किशन, प्रतिवादी नं0 2 अशोक कुमार पुत्र राधा किशन, इन्द्रराज पुत्र राधा किशन को प्रतिवादी नं0 1 राधा किशन पुत्र छोटूलाल के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तद्नुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 3/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

मुकेश कुमार आत्मज राधा किशन जाति धाकड निवासी जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. राधा किशन आत्मज छोटूलाल
2. अशोक कुमार आत्मज राधा किशन
3. इन्द्रराज आत्मज राधा किशन
4. राती बाई पत्नी राधा किशन जाति धाकड निवासीगण जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर–96 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जवर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 11 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 43 रकबा 2.02 हे0, ख0नं0 80 रकबा 0.66 हे0, ख0नं0 163 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 243 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 348 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 463 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.58 हे0 भूमि मे वादी मुकेश कुमार पुत्र राधा किशन, प्रतिवादी नं0 2 अशोक कुमार पुत्र राधा किशन, इन्द्रराज पुत्र राधा किशन को प्रतिवादी नं0 1 राधा किशन पुत्र छोटूलाल के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 3 / 10 / 2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे

Scanned by CamScanner

स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner